प्रेस नोट
दिनांक 16.02.2024, थाना मोतीगंज
जनपद गोण्डा।

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा लोक सेवक के कार्यों में बाधा डालने व उसके साथ मार पीट करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-17/2024 धारा 323, 504, 506, 427, 332, 353 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पप्पू पाण्डेय पुत्र सीताराम पाण्डेय ग्राम भगवानदीन पुरवा मौजा डुड़ाव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को झजवा रोड़ पर स्थित चाय की दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी डा0 राजू कुमार पुत्र जगलाल चौरसिया ग्राम बडेबन मडवा नगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा थाना मोतीगंज को सूचना दिये की दिनांक 22.01.2024 को सरकारी एम्बुलेंस के साथ विपक्षी के घर पहुचा जहाँ विपक्षीगण द्वारा गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगे और सरकारी एम्बुलेंस के पीछे की लाइट तोडकर सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। वादी की तहरीर पर थाना मोतीगंज में मु0अ0सं0-17/2024 धारा 323, 504, 506, 427, 332, 353 भादवि बनाम पप्पू आदि 03 नफर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 16.02.2024 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त पप्पू पाण्डेय पुत्र सीताराम पाण्डेय ग्राम भगवानदीन पुरवा मौजा डुड़ाव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को झजवा रोड़ पर स्थित चाय की दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पप्पू पाण्डेय पुत्र सीताराम पाण्डेय ग्राम भगवानदीन पुरवा मौजा डुड़ाव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-17/2024 धारा 323, 504, 506, 427, 332, 353 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 रामभवन पासवान
02. उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा

मतदाता केन्द्र का निरीक्षण

प्रेस नोट
दिनाकं 16.02.2024

जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के संबंध में सेक्टर/ स्टेटिक मजिस्ट्रेटो, पुलिस अधिकारियों व केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये -

जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार गोण्डा में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा- 2023 की लिखित परीक्षा दिनाकं 17.02.2024 से 18.02.2024 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों व केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक किया गया। उक्त परीक्षा जनपद गोण्डा में दिनांक 17/18.02.2024 को निर्धारित 25 परीक्षा केन्द्रों पर चार पालियों में संपन्न कराई जाएगी जिसमे प्रति पाली में 11,304 परीक्षार्थी सम्मलित होगे। । उक्त तिथियों में आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गयी तथा परीक्षा को सुचारू रूप से सुचितापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया।
मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनाकं 16.02.2024

पुलिस भर्ती परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के सम्बन्ध में परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 16.02.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा- 2023 की लिखित परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा की तैयारीयों के संबंध परीक्षा केन्द्र श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोण्डा का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान परीक्षा हाल, सी0सी0टी0वी0 व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया । तथा कालेज के प्राधानाचार्य श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय के साथ परीक्षा केन्द्र पर बिजली, पानी, शौचालय व अभ्यर्थियों को बैठने की व्यवस्था आदि का निरीक्षण कर और बेहतर व्यवस्था के सम्बन्ध में बात चीत की गयी। परीक्षा केन्द्र श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में 13 कमरों में प्रति पाली 600 अभ्यर्थीयों को परीक्षा देनी है।

महोदय द्वारा बताया गया की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा- 2023 की लिखित परीक्षा दिनाकं 17.02.2024 से 18.02.2024 को निर्धारित 25 परीक्षा केन्द्रों पर चार पालियों में संपन्न कराई जाएगी जिसमे लगभग कुल 45,000 हजार अभ्यर्थी सम्मलित होगे। । परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा कर परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों व केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक किया जा चुका है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवा दिये गये है। परीक्षा को सुचारू रूप से सुचितापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु 500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगयी गयी है। जिसमें 05 क्षेत्राधिकारी, 02 अपर पुलिस अधीक्षक की ड्यूटी लगायी गयी है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस - नोट
दिनांक 16.02.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट में 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के 08 आरोपी अभियुक्त 01. अब्बास, 02. सजकू 03. मजीद उर्फ मजीबू को 03 वर्ष साधारण कारावास व रु0 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में 02 अभियुक्त 01. अब्बास, 02. सजकू 03. मजीद उर्फ मजीबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री उदय प्रताप वर्मा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना इटियाथोक के पैरोकार हेड का0 शैलेन्द्र सिंह व कोर्ट मोहर्रिर का0 हरेश कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट महोदय द्वारा अभियुक्तगण 01. अब्बास, 02. सजकू 03. मजीद उर्फ मजीबू को 03 वर्ष का साधारण कारावास व रु0 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. अब्बास पुत्र मो0 इंद्रीश निवासी तकिया पन्ना बगुलहा, थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. सजकू पुत्र मो0 इंद्रीश निवासी तकिया पन्ना बगुलहा, थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. मजीद उर्फ मजीबू पुत्र हकीमउल्ला निवासी तकिया पन्ना बगुलहा, थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-144/2011, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनाकं 16.02.2024

पुलिस भर्ती परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण

पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के सम्बन्ध में परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया,

निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा सकुशल संपन्न कराने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 16.02.2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा- 2023 की लिखित परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा की तैयारीयों के संबंध प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र 01. शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज 02. फ़ातिमा इंटर कॉलेज 03. **फखरुद्दीन** अली अहमद राजकीय इण्टर **कॉलेज** का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान परीक्षा हाल, सी0सी0टी0वी0 कैमरे व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा कालेजों के प्राधानाचार्य के साथ परीक्षा केन्द्र पर बिजली, पानी, शौचालय व अभ्यर्थियों को बैठने की व्यवस्था आदि का निरीक्षण कर और बेहतर व्यवस्था के सम्बन्ध में वार्ता की गयी। परीक्षा को सुचारू रूप से सुचितापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अधिक संख्या पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगयी गयी है।

मीडिया सेल, गोण्डा।